भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4447

उत्तर देने की तारीख : 28.03.2023

राष्ट्रीय समुद्रपारीय योजना

4447. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पिछले छह वर्षों के दौरान 100 छात्रों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों के लगभग 50-70 छात्रों को ही राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अंतिम राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (एनओएस) स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

जी, नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विदेश में मास्टर्स अथवा पीएचडी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने हेतु अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा पारंपरिक कारीगर आदि वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम कार्यान्वित करता है। इसी तरह, जनजातीय कार्य मंत्रालय एसटी समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए एनओएस स्कीम कार्यान्वित करता है।

गत छ: वर्षों के दौरान राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष चयनित छात्रों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक एनओएस स्कीम के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों का ब्यौरा						
मंत्रालय/विभाग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	108*	183*	100	100	100	125
जनजातीय कार्य मंत्रालय	16	20	20	20	20	20

* गत वर्षों के रिक्त स्लाटों को आगे लाया गया था।

** जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 20 छात्रों का चयन करता है और उन्हें विदेश स्थित विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लेने के लिए 2 वर्ष का समय दिया जाता है इसलिए गत 2 वर्षों में बहुत कम छात्रों ने अंतिम चरण में विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया।

*****